न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 2927–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.7.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 262/अ–21/2009–10.

श्रीमती माधुरी पत्नि अशोक दुबे
निवासी नंदीपार कटनी,
जिला कटनी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, पन्ना म.प्र. ——— अनावेदक

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, अपीलांट ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08 जुलाई, 2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 262/अ–21/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 20–7–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक केशवसिंह पिता विश्वनाथ गौंड निवासी ग्राम महुवाखेड़ा तहसील शाहनगर जिला पन्ना द्वारा एक आवेदन कलेक्टर पन्ना के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि वह ग्राम महुवाखेड़ा स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 14 कुल रकबा 4.00 हैक्टर का भूमिस्वामी है । वह अविवाहित है तथा उसकी उम्र 96 वर्ष हो चुकी है । उसकी देख रेख आवेदिका लगभग 20 वर्षों से अधिका समय से कर रही है । वह आवेदिका को अपनी पुत्री मानता है इस कारण वह उक्त भूमि की वसीयत आवेदिका के नाम करना चाहता है, जिसकी अनुमति दी जावे । इस पर से कलेक्टर द्वारा कार्यवाही उपरांत केश्वसिंह का आवेदन आदेश दिनांक 14–12–09 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका ने अधीनस्थ

न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

2/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर द्वारा केशवसिंह द्वारा दिए गए आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में आवेदन में कही गई बातें सत्य पाई गईं, जिस पर से कलेक्टर को अनुमति देना थी या आवेदन खारिज करना था किंतु कलेक्टर द्वारा प्रकरण के वाद–बिंदु से हटकर आदेश पारित किया गया है । अतः कलेक्टर का आदेश तथा उनकी पुष्टि संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा काफी लंबे समय तक प्रकरण को विचाराधीन रखा और प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान केशवसिंह की मृत्यु हो गई कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि संहिता की धारा 165 एवं अन्य उपबंधों के अधीन आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को वसीयत पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है आधारहीन है क्योंकि वसीयत कोई भी व्यक्ति किसी को भी कर सकती है, इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2014(1) जेएलजे 199 का संदर्भ दिया गया इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – विल का अधिकार – संपत्ति का स्वामी – उसे स्वाभाविक वारिस को वंचित कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में विल करने का अधिकार है । माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय ए.आई. आर. 2006 एस.सी. 3282 पर आधारित है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है, मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शून्यवत होता है, इस कारण भी उनका आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 359 एवं ए0आई0आर0 गुजरात 1979 पेज 32 का हवाला दिया गया है । उनका कहना है कि अपर आयुक्त ने भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मृतक केशवसिंह द्वारा आवेदिका के पक्ष में वसीयत की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर केशवसिंह के स्थान पर वसीयत के आधार पर आवेदिका का नामांतरण किए जाने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मृतक भूमिस्वामी केशवसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्वतः स्पष्ट है कि उसके कोई वारिस नहीं है, इस कारण कलेक्टर का आदेश उचित है और उसे स्थिर रखने में अधीनस्थ

न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि कलेक्टर द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 359 एवं ए0आई0आर0 गुजरात 1979 पेज 32 में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 359 में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 धारा – 50 मृत व्यक्ति के विरूद्ध या पक्ष में पुनरीक्षण आदेश – अकृतता है – मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के पश्चात आदेश पारित किया जाना चाहिए । इसी प्रकार का अभिमत आवेदक द्वारा उद्धरित अन्य न्यायदृष्टांत में व्यक्त किया गया है । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण में कलेक्टर का आदेश मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित किए जाने से प्रभावशून्य होने के कारण स्थिर रखने योग्य नहीं है । इसी प्रकार कलेक्टर का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि संहिता की धारा 165 एवं अन्य उपबंधों के अधीन आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को वसीयत पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वसीयत कोई भी व्यक्ति किसी को भी कर सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2014(1) जेएलजे 199 अवलोकनीय है । इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – विल का अधिकार – संपत्ति का स्वामी – उसे स्वाभाविक वारिस को वंचित कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में विल करने का अधिकार है । माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय ए.आई.आर. 2006 एस. सी. 3282 पर आधारित है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा मृतक भूमिस्वामी के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश देने के पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई है और सीधे भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया है जो ना तो न्यायिक है और ना ही विधिसम्मत । अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर

आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–12 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–09 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं । जहां तक आवेदिका के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की गई है अतः वसीयत के आधार पर उसका नामांतरण किया जाये, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में विधिवत नामांतरण हेतु आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर